न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—388/2015/75 (2015/00302)

1. अमरा पुत्र स्व0 भूरा (मृतक) जरिये वारिसानः—
1/1— रामकरण पुत्र स्व0 अमरा (मृतक) जरिये वारिसानः—
1/1/1— महेन्द्र पुत्र स्व0 रामकरण,
1/1/2— मुकेश पुत्र स्व0 रामकरण,
1/1/3— मनोज पुत्र स्व0 रामकरण,
1/1/4— श्रीमती मन्ना देवी बेवा स्व0 रामकरण,

2. जगदीश पुत्र स्व0 भूरा (मृतक) जरिये वारिसानः—
2/1— छोटू पुत्र स्व0 जगदीश,
2/2— हरचन्द पुत्र स्व0 जगदीश,
2/3— लाला पुत्र स्व0 जगदीश,
2/4— प्रभू पुत्र स्व0 जगदीश,
2/5— छीतर पुत्र स्व0 जगदीश,
2/6— कालीबाई बेवा स्व0 जगदीश,

3. सुखदेव पुत्र स्व0 भूरा (मृतक) जरिये वारिसानः—
3/1— रतन पुत्र स्व0 सुखदेव (मृतक) जरिये वारिसानः—
3/1/1— नौरती बेवा स्व0 रतन,
3/1/2— ओमप्रकाश पुत्र स्व0 रतन,
3/1/3— सोहन पुत्र स्व0 रतन,
3/2— सुआ पुत्र स्व0 सुखदेव,
3/3— श्री किशन पुत्र स्व0 सुखदेव (मृतक) जरिये वारिसानः—
3/3/1— श्रीमती सीता बेवा श्री किशन,
3/3/2— राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री किशन,
3/4— मंगल पुत्र स्व0 सुखदेव,

4. हरदेव पुत्र माला (मृतक) जरिये वारिसानः—
4/1— मोहन पुत्र स्व0 हरदेव (मृतक) जरिये वारिसानः—
4/1/1— नौरत पुत्र स्व0 मोहन,

5. किशना पुत्र स्व0 नाथू,

6. लादू पुत्र स्व0 नंगा (मृतक) जरिये वारिसानः—

7. 6/1— घीसा पुत्र स्व0 लादू (मृतक) जरिये वारिसानः—
6/1/1— कालू पुत्र स्व0 घीसा,
6/1/2— गोविन्द पुत्र स्व0 घीसा,
6/1/3— श्रीमती रामकन्या बवेा स्व0 घीसा,
6/2— रमेश पुत्र स्व0 लादू (मृतक) जरिये वारिसानः—
6/2/1— श्रीमती लाली बेवा स्व0 रमेश,
6/2/2— राजेन्द्र पुत्र स्व0 रमेश नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमती लाली बेवा स्व0 रमेश ।
समस्त जाति भील, निवासी ग्राम रसूलपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. हरजी पुत्र माला (मृतक) जरिये वारिसानः—
3/1— रामदीन पुत्र स्व0 हरजी (मृतक) जरिये वारिसानः—
3/1/1— श्रीमती सोहनी बेवा रामदीन,
3/1/2— कालू पुत्र स्व0 रामदीन,
3/1/3— दुर्गा पुत्र स्व0 रामदीन,
3/1/4— सेठू पुत्र स्व0 रामदीन,
3/1/5— अर्जुन पुत्र स्व0 रामदीन,
3/1/6— संजू पुत्र स्व0 रामदीन,
समस्त जाति भील, निवासी ग्राम रसूलपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

तरतीबी रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ 12(सी) ()/13/292 दिनांक 27.9.2013 .

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री रामकिशोर खदाव, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 2 .
4. तरतीबी रेस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 30.9.2019

1. यह अपील विद्वान विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ 12(सी) ()/13/292 दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ 12(सी) ()/13/292 दिनांक 27.9.2013 के द्वारा ग्राम रसूलपुरा, तहसील व जिला अजमेर की कृषि भूमि खसरा नंबर 1336 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1337 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 1339 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 1340 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 1341 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1344 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1345 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 1348 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 1350 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 1351 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 1352 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 1353 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 1354 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 1355 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 1356 रकबा 0.11 हे0, खसरा नंबर 1357 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1358 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 1359 रकबा 0.01 है0 एवं खसरा नंबर 1360 रकबा 0.10 है0 की भूमियों को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातरित करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांटस एवं तरतीबी रेस्पो0 के पूर्वज अमरा, जगदीश, सुखदेव, हरदेव, किशना, हरजी व लादू को ग्राम रसूलपुरा के तत्समय प्रचलित खसरा संख्या 812 में से रकबा 20–02–00 बीघा भूमि का अवांटन किया गया था । उक्त आवंटन उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने दिनांक 27.11.1971 को किया था तथा उक्त आवंटन की पालना में कब्जा आवंटियों को प्रदउान किया जाकर आवंटन आदेश की पालना में पट्टा फीस 5/–रू0 को राजकोष में जमा करवा दिया गया था । अपीलांटस के पूर्व एवं वर्तमान में अपीलांटस विवादित आवंटित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है । खसरा सख्या 812 का भूसंशोधन के दौराने नये खसरा नंबर कायम किये गये उसमें खसरा संख्या 1133, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1134, 1135, 1336 तथा 663 कायम किये गये । पूर्व खसरा संख्या 812 रकबा 43–20–0 बीघा में से 8 बीघा भूमि अपीलांटस के पूर्वजों को दी गई तथा शेष भूमि तथा अवांटित भूमि बाबत् पृथक से अभिलेख में तरमीम कर बटा नंबर डाले गये थे ं इसी दौरान गुर्जर जाति के कुछ व्यक्तियों ने अपीलांटस के आवंटन पर ऐतराज किया तथा नियम 14 (4) का आवेदन कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में पेश किया । जिसे विद्वान जिला कलक्टर ने निर्णय दिनांक 2.6.1972 को निर्णित कर अपीलांटस के पूर्वजों के आवंटन को सही माना । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस के पूर्वजों को किये गये आवंटन के समय भू–संशोधन कार्य चल रहा था जिसमें अभिलेखों में कई प्रकार की त्रुटिया रह गई, अपीलांटस का नाम भी अभिलेखों में अंकित नहीं किया गया तथा पुराने खसरा नंबर 812 के नये खरसरा नंबर बनाते समय नये पुराने खसरा नंबरान का रकबा विधिसम्मत् रूप से अंकित नहीं किया गया । इसी दौराने वर्किग जमाबंदी के पश्चात् नया अभिलेख बनाया जाकर लागू किया गया जिसमें भूमि सिवायचक दर्ज रह गई । राजस्व अधिकारियों से कई बार निवेदन किया परन्तु इंद्राज दुरूस्ती नहीं की गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस अनुसूचित जनजाति के गरीब काश्तकार है तथा आजीविका का कोई साधन नहीं होने से भली जाति के व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये गये, इन्हीं प्रयासों के तहत उपखण्ड अधिकारी ने अपीलांटस के पूर्वजों को विवादित भूमियों का आवंटन किया था तथा कब्जा संभलाया गया था । राजस्व कर्मचारियों ने अभिलेखों में वांछित दुरूस्ती कर नाम अंकित करने के बजाये भूमि को राजकीय भूमि दर्ज रखा । इस त्रुटिपूर्ण इंद्राज होने के कारण ही विद्वान जिल कलक्टर, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राजस्व कर्मचारियों भूमि का जो विवरण तैयार किया वह भूमि के भौतिक धारण स पूर्व अभिलेखों का अध्ययन किये बिना तथा अपीलांटस को सुने बिना उक्त भूमि को शामिल करते हुए प्रस्ताव तैयार किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश विवादित भूमियों की हद तक निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को विवादित भूमियां राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई तथा आवंटन के पश्चात् लगातार काबिज काश्त रहे है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.9. 2013 को चुनौती नहीं देने के फलस्वरूप प्रार्थीगण अपने वैध स्वामित्व के हिस्से से वंचित हो सकते है । अपीलाधीन आदेश से प्रार्थीगण के हक व अधिकार प्रभावित हुए है जिससे प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार की श्रेणी में

आते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई एवं न ही काबिज काश्तकारों को सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को तत्समय नहीं हो सकी थी । विगत दिनांक 10.8.2015 को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के कर्मचारीगण मौके पर आये तथा प्रार्थीगण को कब्जा हटाये जाने बाबत् कहा । इस पर जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा यह भूमि राजस्व विभाग से स्थानीय निकाय को हस्तातंरित की जा चुकी है । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश एवं आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन किया, जिस पर नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

1. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है। विवादित आराजियात सिवायचक होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरित की है । विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

2. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा विवादित आराजियात सिवायचक होने से बाद जांच रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है । विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रारंभ से सिवायचक दर्ज रही है । अपीलांटस के नाम कभी भी राजस्व रिकार्ड नहीं रहा है। अधी0न्याया0 के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

3. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम प्रकरण में सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि विवादित आराजियात अपीलांटस के पूर्वजों को उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा आवंटन किया जाना बताते हुए विवादित भूमि का कब्जा काश्त संभलाये जाने का कथन किया है । अपीलांटस के आवंटन आदेश के विरूद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र नियम 14 (4) विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष पेश किये जाने पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलांटस के पक्ष में हुए आवंटन आदेश को निर्णय दिनांक 2.6.1972 द्वारा सही होना माना है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से अपीलांटस अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार होना प्रथमदृष्टया प्रकट होने से हम अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुंमति प्रदान की जाती है ।

4. अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी किसी भी प्रकरण का तकनीकी आधार पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

5. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि विवादित आराजियात अपीलांटस के पूर्वजों को विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1971 को आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा काश्त संभलाया गया था तथा उक्त आवंटन आदेश की पालना में अपीलांटस द्वारा पट्टा फीस 5/–रू0 राजकोष में जमा कराई गई थी । आवंटन दिनांक से विवादित भूमि पर पूर्व में अपीलांटस के पूर्वज/आवंटियों तथा वर्तमान में अपीलांटस काबिज काश्त है किन्तु उक्त आवंटन आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में आवंटियों के नाम का अमल दरामद नहीं होने से विवादित भूमि सिवायचक दर्ज रही । जबकि विवादित भूमियो पर कब्जा काश्त अपीलांटस का ही चला आ रहा है। अपीलांटस ने यह भी कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की जांच कराये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांटस के आवंटन के विरूद्ध मु0 पूसी द्वारा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) पेश किया गया था जिसे विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने प्रकरण संख्या 142/1971 पर दर्ज कर निर्णय दिनांक 2.6.1972 द्वारा निरस्त करते हुए अप्रार्थीगण/अपीलांटस के आवंटन को सही होना माना है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर ने अन्य भूमियों के साथ–साथ विवादित भूमियों को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है । अपीलांटस का यह कथन रहा है कि आवंटन दिनांक से आज दिनांक विवादित भूमियों पर कब्जा काश्त अपीलांटस का ही चला आ रहा है किन्तु आवंटन आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद नहीं किये जाने से विवादित भूमियां राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज रही है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विवादित भूमियों के संबंध में मौके की जांच रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित करना चाहिये था । हम विद्वान वकील अपीलांटस के इस कथन से सहमत है विवादित भूमि अपीलांटस के पूर्वजों को आवंटित भूमि होकर काबिज काश्त है जिन्हें अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे वे अपना पक्ष विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष पेश नहीं कर सके । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में हम विद्वान जिला कलक्टर द्वारा विवादित भूमि के मौके एवं आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1971 के संबंध में जांच करवाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2013 ग्राम रसूलपुरा, तहसील व जिला अजमेर के हाल खसरा नंबर 1336 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1337 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 1339 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 1340 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 1341 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1344 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1345 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 1348 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 1350 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 1351 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 1352 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 1353 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 1354 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 1355 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 1356 रकबा 0.11 हे0, खसरा नंबर 1357 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1358 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 1359 रकबा 0.01 है0 एवं खसरा

नंबर 1360 रकबा 0.10 है0 की हद तक निरस्त योग्य होकर प्रकरण विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

1. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 27.9.2013 को ग्राम रसूलपुरा, तहसील व जिला अजमेर के हाल खसरा नंबर 1336 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1337 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 1339 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 1340 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 1341 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 1344 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1345 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 1348 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 1350 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 1351 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 1352 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 1353 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 1354 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 1355 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 1356 रकबा 0.11 हे0, खसरा नंबर 1357 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1358 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 1359 रकबा 0.01 है0 एवं खसरा नंबर 1360 रकबा 0.10 है0 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है विवादित भूमियों के संबंध में मौके एवं रिकार्ड की स्थिति की जांच कर अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

2. निर्णय आज दिनांक 30.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर